

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील/स्टे संख्या-1383, 1384, 1385, 1386 एवं 1387/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स मोहित मेल्टस प्रा. लि. भिवडी बनाम् अपीलीय अधिकारी अलवर व सीटीओ द्वितीय जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या लकार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	----------------------------------	---

24.10.2017

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य


अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के. जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. वैद, उप-राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

ये पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पृथक-पृथक पारित किये गये आदेशों में कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र में विवादित मांग राशि को अस्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) संपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। विवादित मांग राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	अपी. प्राधि. स्थगन न.	आदेश दिनांक	कर निर्धा. वर्ष	आगत कर रिवर्स	शास्ति	ब्याज	कुल मांग राशि
1383/17	67/99950131519	26.09.17	2011-12	1493525	5974100	1060403	8528028
1384/17	68/99950131466	26.09.17	2012-13	1474714	5898856	870081	8243651
1385/17	69/99950131378	26.09.17	2013-14	4696649	18786596	2207425	25690670
1386/17	70/99950131301	26.09.17	2014-15	7045031	28180124	2465761	37690916
1387/17	71/99950131218	26.09.17	2015-16	4141560	28180124	2465761	34787445

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उक्त प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार अलौच्य अवधि में व्यवहारी फर्म द्वारा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न दस्तावेज एवं वेट 7 के विश्लेषण के उपरान्त अलौच्य अवधि में उपरोक्तानुसार बोगस खरीद पर आगत कर का लाभ लिया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा बिना माल के प्राप्त किये मात्र बिलों के माध्यम से दस्तावेजी खरीद दिखा कर गलत तरिकों से आगत कर का लाभ प्राप्त कर, कर देयता को छिपाया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/अदम पैरवी में


 लगातार.....2.
 24/10/17

खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि व्यवहारी ने क्रय-विक्रय संबंधित सभी संव्यवहारों को खाते में दर्ज कर रखा है तथा सभी त्रैमासिक व वार्षिक रिटर्न में प्रदर्शित भी किया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह आरोपण कि व्यवहारी द्वारा सम्पादित संव्यवहार बोगस व कागजी संव्यवहार है, गलत है। अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिसमें जो संव्यवहार दर्शाये गये हैं वह सत्य है तथा इससे असत्य साबित करने का दायित्व व्यवहारी का नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन पर अविधिक रूप से करारोपण, ब्याज व शास्ति आरोपित की गयी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र को अदम हाजिरी/अदम पैरवी में अस्वीकार कर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। जिसमें कोई भी विधिक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अनुपस्थित में खारिज कर नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अतः इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली के विरुद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवम् अपीलीय अधिकारी के आदेश दिग्गन्क का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बोगस खरीद दर्शाया कर आगत कर का लाभ चाहा गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अनुपस्थित में अदम हाजिरी/अदम पैरवी में आदेश पारित कर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है। किन्तु यहां अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है अतः स्थगन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र को अदम हाजिरी में खारिज किया जाना ही स्थगन का पर्याप्त एवं यथोचित कारण नहीं हो सकता। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार बोगस खरीद पर आगत कर का लाभ चाहा गया है एवं जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर को रिवर्स कर उस पर शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया है। प्रकरण अभी अपीलीय

24/10/17 लगातार.....3.

अधिकारी के समक्ष लम्बित है। इस प्रकम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 18(2) की पालना में कर जमा होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे रिवर्स टेक्स के संबंध में उक्त अपीलें अच्छे हेतुक की श्रेणी में नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य

